बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 60/12–13

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, रोहतास (सासाराम)

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – 2008–09 से 2010–11 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन (विकास) विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री आर0 एस0 सिंह अवधि 06.11.08 से 31.03.11 उप निदेशक (प्रा0 शि0) विभाग बिहार, पटना।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदा0 एंव कर्मचारी का नाम, पदनाम एंव कार्यकाल –

1. श्री हामिद हसन, माननीय सदस्य अवधि 06.11.08 से 31.03.11 तक। जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्रा0 रोहतास के सदस्य

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदा0/कर्म0 का नाम , पदनाम –

1. अखिलेश प्रसाद सिंह, सचिव सह रोकड़पाल

(छ) वरीय अंकेक्षको के नाम – 1. श्री विद्यानन्द शर्मा , व0 अं0– 2

2. श्री शत्रुधन महाराज ,व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 05.06.2012

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – दि0 17.07.2012

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 21 कार्य दिवस।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एंव अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' संलग्न हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य ।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि –

3286/वि0 अं0 दि0 15.09.60

(3) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – प्रारंभिक, माध्यमिक एंव उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित संशोधन नियमावली 2008 में शिक्षकों के नियोजन से संबंधित अपील की सुनवाई हेतु विभागीय संकल्प सं0 3153 दिनांक 25.08.2008 के द्वारा प्रत्येक जिला में शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया था। उपरोक्त आदेश के आलोक में ही जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार कार्यालय का गठन रोहतास (सासाराम) में भी किया गया। इस कार्यालय का विधिवत् उदघाटन दिनांक 02.11.2008 को किया गया । रोकड़ पुस्त का संधारण दिनांक 07.02.09 से किया गया था।

<u>प्राधिकार का कार्य</u>

अपीलीय प्राधिकार कार्यालय का कार्य निम्नवत् निर्धारित किया गया था।

(i) पंचायत शिक्षक/प्रखंड शिक्षक/नगर शिक्षक/जिला परिषद एंव नगर निकाय माध्यमिक शिक्षक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के नियोजन से संबंधित अपील की सुनवाई कर निर्णय लेना।

(ii) सामान्य 30 दिनों के अन्दर अपील पर निर्णय लेना। विशेष मामलों में अधिकतम 90 दिनों में निर्णय लेना।

(iii) पूर्व के अपीलीय प्राधिकार/शिकायत प्राधिकार द्वारा स्थानान्तरित मामलों पर 60 दिनों के अन्दर निर्णय लेना।

(iv) वित्तीय स्त्रोत – इस कार्यालय को अंकेक्षण अवधि में भाग सं0– 21 मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01 प्रारंभिक शिक्षा लघु शीर्ष 001 निदेशक और प्रशासनिक उपशीर्ष 0106 जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार सासाराम विपत्र कोड पी 2202010010106 के अन्तर्गत उपबंधित राशि की निकासी जिला शिक्षा पदा0, जिला शिक्षा अधीक्षक, रोहतास (सासाराम) के द्वारा की जाती थी। वे इस राशि को बैंक ड्राफ्ट /चेंक के माध्यम से जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार रोहतास (सासाराम) को उपलब्ध कराते थे। उपलब्ध अनुदानित राशि की पूर्ण विवरणी परिशिष्ट ''ख'' पर उल्लिखित है। उसे अवलोकन करने पर स्पष्ट होगा कि वित्तीय वर्ष 08–09 में विभिन्न मदों में अनुदानित राशि के विरूद्ध व्ययोपरान्त बचत राशि रू0 134000.00 एंव सूद की राशि रू0 2024.00 सहित कुल रू0 (रू0 134000.00+रू0 2024.00) = 136024.00 रू0 को एंव वित्तीय वर्ष 09–10 में विभिन्न मदों में बचत राशि रू0 114000.00 एंव सूद की राशि रू0 4778.00 (रू0 114000+रू0 4778.00) कुल रू0 118778.00 को जिला कोषागार सासाराम में विपत्र कोड P2202019110102 के चालान सं0 72/04.02.2011 से रू0 120802.00 एंव चालान सं0 73/04.02.2011 रू0 , 134000.00 (120802.00 + 134000.00 = रू0) कुल रू0 254802.00 जमा कर दी गयी थी। वित्तीय वर्ष 10–11 में बचत राशि अंकेक्षण समापन तिथि तक जमा नही की गयी थी। बचत खाता में अनुदानित राशि को रखने के कारण वित्तीय वर्ष 10–11 में प्राप्त सूद की राशि संबंधित कोषागार में जमा नही की गयी थी। उसे जमा कराने हेतु अलग से कंडिका में उल्लेख किया गया है।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति : – शत् प्रतिशत् सत्यापन किया गया जमा राशि का शत् प्रतिशत् सत्यापन किया गया और सही पाया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :– महालेखाकर के द्वारा निरीक्षण नही किया गया था।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– विभागीय अंकेक्षण का प्रथम सत्र था।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

अंकेक्षण अवधि के अंतिम तारीख का संवरण शेष निम्नवत् था।

दि0 – 31.3.2009 – रू0 134000.00

दि0 31.3.10 – रू0 254802.00

दि0 31.3.2011 – रू0 19763.00

उपर्युक्त तिथियों के संवरण शेष की राशि का विस्तृत विवरण रोकड़ पुस्त में दर्ज नही था।

1. आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गयी है– नही।
2. अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया– नही।
3. प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था– हाँ।
4. रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति– भौतिक सत्यापन किया गया – हाँ।

विभागीय पत्रांक 503 दि0 29.1.76 के आलोक में अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 05.06.2012 के संवरण शेष रू0 55714.00 में निहित नकद राशि रू0 180.00 का भौतिक सत्यापन अंकेक्षण के समक्ष गिनती कर किया गया और सही पाया। शेष राशि की विस्तृत विवरण निम्नवत् अंकित किया गया था।

05.06.2012 का संवरण शेष	– 55534.00
नकद राशि	– 180.00
05.06.2012 का योग	– 55714.00
निर्गत चेकों की राशि जो बैंक में कैश नही हो सका	– 19890.00
कुल योग	रू0– 75604.00

(केनरा बैंक सासाराम के बचत खाता सं0 रू0 2315101016090 में दि0 05.06.12 को जमा राशि रू0 75604.00 ही था।)

निर्गत चेकों की राशि का रोकड़ पुस्त, केनरा बैंक के बचत बैंक खाता के पासबुक से जाँच किया गया और सही पाया।

5. रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति –

(क) नकद राशि – 180.00

(ख) बैंक खाता में कुल राशि – 45771.00

(ग) बैंक खाता में सूद की राशि– रू0 9763.00

(घ) अग्रिम राशि – शून्य

(ङ) असमायोजित अभिश्रव – शून्य

(च) अन्य – शून्य

कुल योग– रू0 55714.00

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार रोहतास (सासाराम) के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत बल की विवरणी परिशिष्ट ''ग'' पर उल्लिखित है। इसके अवलोकन करने पर स्पष्ट होगा कि माननीय सदस्य एंव कार्यालय सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर को छोड़कर शेष सभी पदों पर प्रतिनियुक्त कर्मचारी कार्यरत है। कार्यालय सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर का एक रिक्त पद पर तत्काल नियुक्ति की आवश्यकता है ताकि अपीलीय प्राधिकार का कार्य ससमय पूर्ण की जा सके।

(5) कम्प्यूटर पार्टस पर अनियमित व्यय रू0 6475.00 वसूली योग्य :–

कम्प्यूटर क्रय एंव रखरखाव मद के अभिश्रवों की जाँच संगत लेखाभिलेखों से करने में पाया गया कि कम्प्यूटर मेसर्स पाराडाईज स्टूडियों गौरक्षणी, सासाराम से दिनांक 07.02. 2010 को विविध प्रकार के कम्प्यूटर पार्टस क्रय किया गया था जिसका मूल्य रू0 6475.00 का भुगतान दि0 11.3.10 को किया गया था। जिसकी पूर्ण विवरणी निम्नवत् है –

अभिश्रव सं0	आपूर्त्तिकर्त्ता का नाम	भुगतान तिथि	क्रीत सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	राशि
16 (4)	मेसर्स कम्प्यूटर पाराडाईज स्टूडियों गैरक्षणी, सासाराम	11.3.10	1 डी0 डी0 आर–1 512 एम0 बी0 / 433 FSB	01 अदद	1450	1450.00
			2 एच0 डी0 डी0 40 जी बी 7200 आर0 पी0 एम	01 अदद	2550	2550.00
			3 एन्टी वायरस क्वींक	01 अदद	650	650.00
				01 अदद	500	500.00
			4 हीट पार्टिशन साफ–2 वेयर एच डी डी	01 अदद	1325	1325
			5 पेन ड्राइव		कुल रू0	6475.00

कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली कम्प्यूटर का क्रय दि0 31.3.10 को मेसर्स कम्प्यूटर सौलूशन धर्मशाला रोड, सासाराम से किया गया था। फिर कम्प्यटूर क्रय के पहले उसके पार्टस क्रय करने का कोई औचित्य नही था।

अतएव कम्प्यूटर क्रय के पूर्व उसके क्रय किये गये विभिन्न प्रकार के पार्टस का उपयोग सरकारी कार्य में न कर निजी उपयोग में किया गया था।

अतएव कम्प्यूटर पार्टस के क्रय पर अनियमित व्यय राशि रू0 6475.00 दोषी व्यक्ति से वसूली योग्य है। उसे दोषी व्यक्ति से वसूलकर सरकारी कोष में जमा की जाय। तत्पश्चात इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(6) निजी मोबाईल में कराये ईजी रीचार्ज कराने पर व्यय रू0 4165.00 वसूली योग्य :–

(1) वित्तीय वर्ष 09–10 के आकस्मिक मद की जाँच संगत लेखाभिलेखों से करने में पाया गया कि निजी मोबाईल न0– 9431476870 का ई0 जी0 रीचार्ज देव दूरभाष केन्द्र सासाराम

से विभिन्न तिथि को कराया गया था। जिसका भुगतान दिनांक 11.3.10 को किया गया जिसकी पूर्ण विवरणी निम्नवत् है –

क्र0 सं0	अभिश्रव सं0	दूरभाष केन्द्र का नाम	ईजी रीचार्ज कराने की तिथि	भुगतान तिथि	भुगतीत राशि
1	15(1) 09–10	देव दूरभाष केन्द्र सासाराम	12.10.09	11.3.10	555.00
2	15 (2) 09–10	''	8.11.09	11.3.10	555.00
3	15(3) 09–10	''	5.12.09	11.3.10	555.00

योग रू0– 1665.00

मोबाईल के क्रय एंव उसके रीचार्ज कराने के लिए अलग से सरकार के द्वारा राशि आवंटित नही की गयी थी। उपर्युक्त मोबाईल पूर्णतः निजी था और उसका उपयोग निजी कार्य में ही किया गया ।

अतः उपर्युक्त मोबाईल के ई0 जी0 रिचार्ज कराने पर व्यय राशि रू0 1665.00 दोषी व्यक्ति से वसूली योग्य है। एंव इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(2) निजी मोबाईल का ई0 जी0 रीचार्ज कराने पर व्यय राशि रू0 2500.00 वसूली योग्य :–

वित्तीय वर्ष 10–11 के आकस्मिक मद के अभिश्रवों की जाँच संगत लेखाभिलेखों से करने में पाया गया कि निजी मोबाईल न0– 9431476870 का ई0 जी0 रीचार्ज देव दूरभाष केन्द्र सासाराम से विभिन्न तिथियों को कराया गया था। जिसका भुगतान दिनांक 03.01. 2011 को किया गया था जिसकी पूर्ण विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	अभिश्रव सं0	दूरभाष केन्द्र का नाम	रीचार्ज कराने की तिथि	भुगतान तिथि	भुगतीत राशि
1	3 (ए) 10–11	देव दूरभाष केन्द्र सासाराम	6.4.10	3.1.11	500.00
2	3 (बी) 10–11	ʻʻ	8.5.10	3.1.11	500.00
3	3 (सी) 10–11	ʻʻ	5.6.10	3.1.11	500.00
4	3 (डी) 10–11	ʻʻ	3.7.10	3.1.11	500.00
5	3 (ई) 10–11	ʻʻ	2.8.10	3.1.11	500.00
				योग–	2500.00

मोबाईल के क्रय एंव उसके रीचार्ज कराने के लिए सरकार के द्वारा राशि आवंटित नही की गयी थी। सरकारी राशि से मोबाईल क्रय एंव उसके रीचार्ज कराने के लिए आदेश भी सरकार के द्वारा नही दी गयी थी। उपर्युक्त मोबाईल पूर्णतः निजी था और उसका उपयोग भी निजी हित में ही किया गया था।

अतः उपर्युक्त मोबाईल के ई0 जी0 रिचार्ज कराने पर व्यय राशि रू0 2500.00 दोषी उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली योग्य है।

अतएव (1665+2500.00) कुल रू0 4165.00 दोषी एंव उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर सरकारी कोष में जमा की जाय तत्पश्चात् विधिवत सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार , पटना को दी जाय।

(7) कम्प्यूटर के पार्टस के क्रय पर व्यय राशि रू0 1010.00 वसूली योग्य :–

आकस्मिक मद के अभिश्रवों की जाँच संगत लेखाभिलेखों से करने में पाया गया कि एस0 सी0 ई0 एस कम्प्यूटर सासाराम से 02.02.2008 को विविध प्रकार के कम्प्यूटर की सामग्री क्रय किया गया था।

उसका पूर्ण विवरण निम्नवत् है :–

अभिश्रव सं0	विक्रेता का नाम	भुगतान तिथि	क्रीत सामग्री का विवरण/सामग्री का प्रकार मात्रा दर	राशि
8 (23). 08–09	मेसर्स एस0 सी0 ई0 एस कम्प्यूटर, सासाराम	16.03.09	12 ए कार्ट्रीज रीफील ड्राम रीफील	530.00 480.00

योग– 1010.00

वित्तीय वर्ष 08–09 में कार्यालय में कम्प्यूटर सरकारी कार्य करने के लिए उपलब्ध नही था। अलग से कम्प्यूटर क्रय एंव उसके रख रखाव मद में राशि भी आवंटित नही था। सरकारी कार्य में निजी कम्प्यूटर का उपयोग करने हेतु सक्षम पदा0 का आदेश भी नही दी गयी थी।

अतः रूपये 1010 का क्रीत कम्प्यूटर का पार्टस का उपयोग निजी हित में ही किया गया था।

अतः कम्प्यूटर पार्टस के क्रय पर व्यय राशि रू0 1010.00 दोषी व्यक्ति से वसूली योग्य है।

अतएव 1010.00 दोषी व्यक्ति से वसूल कर सरकारी कोष में जमा की जाय। तत्पश्चात् इसकी विधिवत सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाय।

(8) निजी उपयोग की वस्तु क्रय किये जाने के कारण रू0 113.00 वसूली योग्य :–

आकस्मिक मद के अभिश्रवों की जाँच संगत लेखाभिलेखों से करने में पाया गया कि मेसर्स जनता किराना जेनरल स्टोर, सासाराम से दि0 16.12.08 को विविध प्रकार के निजी उपयोग की सामग्री क्रय किया गया था जिसके कुल मूल्य रू0 113.00 का भुगतान चेक सं0 – 153583 दि0 10.02.09 को किया गया जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है।

अभिश्रव सं0	विक्रेता का नाम	भुगतान तिथि	क्रीत सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	राशि
4(10)/08–09	जनता किराना स्टोर, सासाराम	10.2.09	क्लोजअप टूथ पेस्ट	1 अदद	29.00	29.00
			रेजर	1 अदद	14.00	14.00
			लक्स साबुन	1 अदद	18.00	18.00
			लाईफ ब्याय	1 अदद	15.00	15.00
			कैंची	1 अदद	37.00	37.00

कुल रू0 – 113.00

उपर्युक्त क्रीत सामग्री पूर्णतः निजी उपयोग की थी। उसका उपयोग सरकारी कार्य में न कर निजी कार्य में किया गया था।

अतः निजी उपयोग के लिए उपर्युक्त क्रीत सामग्री का मूल्य रू0 113.00 दोषी एंव उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली योग्य है। उसे दोषी व्यक्ति से वसूलकर सरकारी कोष में यथाशीध्र जमा की जाय। तत्पश्चात् इसकी विधिवत सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाय।

(9) घटनोत्तर स्वीकृति मिलने तक विचलन की राशि रू0 1980.00 आपत्ति अन्तर्गत :–

(1) वित्तीय वर्ष 09–10 के उपस्कर मद के अभिश्रवों की जाँच संगत लेखाभिलेखों से करने में पाया गया कि उपस्कर मद की राशि रू0 14682.00 से आकस्मिक मद की विभिन्न प्रकार के स्टेशनरी की सामग्री को क्रय किया गया था। उसकी पूर्ण विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	अभिश्रव सं0	आपूत्तिकर्त्ता का नाम	क्रय तिथि	भुगतान तिथि	सामग्री का विवरण	राशि
1	17(1)/ 09–10	एम0 एस0 एन्डी जी एजेन्सी, सासाराम	30.3.10	31.3.10	अपठनीय	1130.00
2	17(2)/ 09–10	स्वामी स्टोर्स, सासाराम	30.3.10	31.3.10	विविध प्रकार के स्टेशनरी समानों का क्रय	6292.00
3	17(3)/ 09–10	सिंह ब्रर्दस, सासाराम	29.3.10	31.3.10	तौलिया	205.00
4	17(4)/ 09–10	स्वामी स्टोर, सासाराम	28.3.10	31.3.10	विविध प्रकार के स्टेशनरी सामान	5655.00
5	17(5)/ 09–10	देव दूरभाष केन्द्र, सासाराम	27.3.10	31.3.10	मोबाईल रिर्चाज	500.00
6	17(6)/ 09–10	–	–	31.3.10	सफाई कर्मी का जनवरी 10 से मार्च 10 तक का मजदूरी का भुगतान	900.00

कुल रू0– 14682.00

उपस्कर मद में आवंटित राशि का विचलन कर आकस्मिक मद के विभिन्न प्रकार के सामग्री क्रय करने के पूर्व सक्षम प्रशासनिक पदाधिकारी से घटनोत्तर स्वीकृति लेनी चाहिए थी। परन्तु ऐसा नही किया गया था।

अतः घटनोत्तर स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से मिलने तक विचलन की राशि रू0 14682.000 को आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

(2) वित्तीय वर्ष 10–11 के कम्प्यूटर मद के अभिश्रवों की जाँच संगत लेखाभिलेखों से करने में पाया गया कि कम्प्यूटर मद में अनुदानित राशि से आकस्मिक मद की विभिन्न प्रकार के स्टेशनरी सामग्री क्रय किया गया था। विवरणी निम्नवत है :–

अभिश्रव सं0	आपूर्तिकर्त्ता का नाम	क्रय तिथि	भुगतान तिथि	विवरण	मात्रा	दर	राशि
8(जी) 10–11	स्वामी स्टोर, सासाराम	17.06.10	27.1.11	A4 पेपर	10 अदद	130	1300
				फोल्डर फाईल कलर	500 अदद	4.50	2250
				कार्बन	2 पैकेट	140.00	280
				प्लेन पेपर	2 पैकेट	240.00	480
				रूलींग पेपर	2 पैकेट	240.00	480
				स्टेपलर	2 पीस	90.00	180
				टैग	2 पैकेट	75.00	150

कुल रू0– 5120.00

कम्प्यूटर मद में अनुदानित राशि का विचलन कर आकस्मिक मद का उपर्युक्त विभिन्न प्रकार का स्टेशनरी का सामान क्रय किया गया था। एक मद में अनुदानित राशि का विचलन कर दूसरे मद की विविध प्रकार के सामग्री क्रय करने के पूर्व सक्षम प्रशासनिक पदाधिकारी से उसकी घटनोत्तर स्वीकृति लेना अपेक्षित था परन्तु ऐसा नही किया गया।

अतः सक्षम प्रशासनिक पदाधिकारी से विचलन की राशि रू0 5120.00 का घटनोत्तर स्वीकृति लेने तक आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

अतएव (14682.00+5120.00) कुल रू0 19802.00 का घटनोत्तर स्वीकृति मिलने तक उक्त व्यय राशि आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

(10) वैट की राशि रू0 4694.00 की राजस्व क्षति :–

वित्तीय वर्ष 09–10 के कम्प्यूटर क्रय एंव रख रखाव मद के अभिश्रवों की जाँच संगत लेखाभिलेखों से करने में पाया गया कि कम्प्यूटर सौलूशन धर्मशाला रोड, सासाराम से दि0 22.03.10 को कम्प्यूटर मशीन एंव उसके पार्टस क्रय किये गये थे। क्रीत उपकरण का कुल मूल्य का 4 प्रतिशत वैट सहित रू0 37550.00 दि0 31.3.10 को भुगतान कर दिया गया था। जबकि वित्तीय वर्ष 09–10 में 12.5 प्रतिशत वैट की राशि क्रीत सामग्री पर काटने का प्रावधान था। क्रीत सामग्री का पूर्ण विवरण निम्नवत् है :–

अभिश्रव सं0	आपूर्त्ति कर्त्ता का नाम	भुगतान तिथि	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	राशि	वैट योग्य राशि	दर	वैट राशि
18(1) 09–10	कम्प्यूटर सौलुसन धर्मशाला रोड, सासाराम	31.3.10	डेल डिस्क टॉप	1 सेट	29700	29700	37550	12.5%	4694.00
			यू0 पी0 एस0 600	1 पीस	2200	2200			

			ई एक्सनोमोनिक						
			प्रिंटर लेजर 1640 सेमशन	1 पीस	5650	5650			

कुल योग— 37550.00

उल्लेखनीय है कि श्रोत से निकासी एंव व्ययन पदा0 द्वारा मूल्य के भुगतान के समय आपूर्त्तिकर्त्ता से वैट राशि की कटौती बिहार राज्य वैट एक्ट 2005 के सेक्शन 40, 42 एंव नियम 28, 30 के अन्तर्गत कर लेनी है। परन्तु ऐसा न कर आपूर्त्तिकर्त्ता को वैट सहित उपर्युक्त क्रीत मशीन एंव उसके पार्टस का कुल मूल्य रू0 37550.00 का भुगतान कर दिया गया था। आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा ली गयी वैट राशि सरकारी कोष में जमा किया गया अथवा नही सुनिश्चित नही हो सका। उसे सुनिश्चित करने हेतु फार्म C-III प्रमाण पत्र एंव जमा विपत्र की विवरणी अंकेक्षण में उपलब्ध नही हो सकी।

अतएव उपर्युक्त अभिलेख सक्षम पदा0 को उपलब्ध कराके वैट राशि जमा की गयी अथवा नही इसकी सत्यता की जाँच विभागीय सक्षम पदा0 द्वारा स्वंय कर ली जाय अगर अन्यथा की स्थिति पायी जाती है तो उत्तरदायी व्यक्ति से वैट की क्षति राशि रू0 4694.00 के संबंध में विधि सम्मत कारवाई की जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को भी दी जाय।

<u>भाग— 3</u>

(11) सूद की राशि रू0 9763.00 संबंधित शीर्षोर्न्तगत कोषागार में जमा योग्य :—

केनरा बैंक सासाराम के बचत बैंक खाता सं0 — 2315101016090 से शीर्ष 2202 के रोकड़ पुस्त का मिलान करने में पाया गया कि विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदानित राशि को बचत खाते में रखने के कारण वित्तीय वर्ष 10—11 के विभिन्न तिथियों को कुल रू0 9763.00 सूद की आय हुई थी। जिसकी विवरणी निम्नवत् है —

पास बुक में सूद राशि की प्रविष्टी की तारीख	रोकड़ पुस्त में प्रविष्टी की तारीख	सूद राशि

31.07.2010	31.07.2010	4963.00
31.01.2011	31.01.2011	4800.00
	कुल रू0 —	9763.00

बिहार कोषागार संहिता भाग– IV के नियम 86 (ii) के अनुसार प्राप्त सूद की राशि को आय मानते हुए जमा शीर्ष विपत्र कोड – P2202019110102 में जमा करनी चाहिए थी। परन्तु जमा नही की गयी थी।

अतः प्राप्त सूद राशि रू0 9163.00 को जिला कोषागार सासाराम में जमाकर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को दी जाय।

(12) रोकड़ पुस्त का सत्यापन नही किया जाना :–

रोकड़ पुस्त की जाँच अन्य अभिलेखों से करने में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में निकासी एंव व्ययन पदा0 द्वारा एक बार भी संवरण शेष की राशि का भौतिक सत्यापन नही किया गया था।

वित्त विभाग के ज्ञापांक 101/98/1946 वित्त दि0 14.2.1979 के अनुसार प्रत्येक निकासी एंव व्ययन पदा0 को प्रत्येक माह की 15 वीं एवं 30 तारीख को रोकड़ पंजी के संवरण शेष की राशि का भौतिक सत्यापन कर उसकी विस्तृत विवरणी अंकित किया जाना अपेक्षित है।

अतः भविष्य में उपर्युक्त नियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

(13) आकस्मिक पंजी असंधारित :–

वित्तीय वर्षो में प्राप्त आवंटन/अनुदान के विरूद्ध आकस्मिक व्यय राशि का पूर्ण विवरण आकस्मिक पंजी में ही पूर्ण विवरण दर्ज करना अपेक्षित है। आकस्मिक पंजी असंधारित रहने पर व्यय राशि का लेखा जोखा करने में कठिनाई के साथ ही वित्तीय अनियमिता की प्रबल संभावना बनी रहती है। इस कार्यालय में आकस्मिक पंजी असंधारित है । उसे संधारित कराने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(14) स्थायी भंडार पंजी का भौतिक सत्यापन नही किया जाना :–

बिहार वित्त नियमावली भाग–1 के नियम 143 एंव 144 के अनुसार भंडार पंजी में अंकित स्थायी सामानों का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु स्थायी सामानों का भौतिक सत्यापन कभी भी नही किया गया था।

अतः भविष्य में भंडार पंजी में अंकित स्थायी सामानों का भौतिक सत्यापन कर उसकी विस्तृत विवरण दर्ज कराने हेतु उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम</u>

(1) आलोक कुमार गुप्ता वरीय अंकेक्षक–2

(2)

परिशिष्ट ‘‘क’’ कंडिका –1 ‘ट’ से संबंधित

प्रस्तुत – अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रस्तुत अभिलेख

1. रोकड़ पुस्त – 07.02.2009 से 31.03.2011
2. आवंटन पंजी – 2008– 09 से 2010–11
3. चेक पंजी – 2008–09 से 2010–11
4. कार्यालय व्यय पंजी – 2008–09 से 2010–11
5. मकान किराया भुगतान पंजी – 2008–09 से 2010–11
6. कर्मचारी / पदा0 का वेतन भुगतान पंजी – 2008–09 से 2010–11
7. केनरा बैंक सासाराम जी0 टी0 रोड सासाराम के बचत बैंक खाता सं0 – 2315101016090
8. अस्थायी भंडार पंजी – 2008–09 से 2010–11
9. स्थायी भंडार पंजी – 2008–09 से 2010–11
10. कार्यालय व्यय संबंधी अभिश्रवों की रक्षी संचिका – 2008–09 से 2010–11
11. कम्प्यूटर क्रय एंव रखरखाव मद की अभिश्रवों की रक्षी संचिका – 2009–10
12. कम्प्यूटर कार्य एंव रख रखाव मद की अभिश्रवों की संचिका – 2010–11
13. उपस्कर एंव अन्य कार्यालय सामग्री की अभिश्रवों की संचिका – 2009–10 से 2010–11

अप्रस्तुत अभिलेख

1. आकस्मिक पंजी – 2008–09 से 2010–11
2. बैंक विवरणी – 2008–09 से 2010–11

परिशिष्ट "ख" (कंडिका– 2'4' से संबंधित)

वर्ष 2008–09 में आय व्यय का व्योरा :–

क्र0	मद	गतवर्ष का शेष	प्राप्त अनुदान की राशि	कुल अनुदान	व्यय राशि	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	प्राधिकार के सदस्यों का वेतन	–	120000.00	120000.00	100000	20000.00	–	
2	सदस्यों का वाहन भत्ता एंव अन्य भत्ता	–	60000.00	60000.00	50000.00	10000.00	–	
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय	–	84000.00	84000.00	0	84000.00	–	
4	कार्यालय भाड़ा	–	60000.00	60000.00	40000.00	20000.00	–	
5	आकस्कमिकता मद	–	25000.00	25000.00	25000.00	0	–	
	कुल योग–		349000.00	349000	215000	134000	–	

परिशिष्ट "ख" कंडिका 2 (4) से संबंधित

वर्ष 09–10 में आय व्यय का व्यौरा

क्र0	मद	गतवर्ष का शेष	प्राप्त अनुदान की राशि	कुल अनुदान	व्यय राशि	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	प्राधिकार के सदस्यों का वेतन	20000.00	240000.00	260000.00	240000.00	20000.00	–	2008–09 में बैंक ब्याज प्राप्त
2	सदस्यों का वाहन भत्ता एंव अन्य भत्ता	10000.00	120000.00	130000.00	120000.00	10000.00	–	2024+4778 = 6802/–
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय	84000.00	84000.00	168000.00	0	168000.00	–	
4	कम्प्यूटर क्रय एंव रख रखाव मद	0	60000.00	60000.00	60000.00	0	–	
5	कार्यालय भाड़ा	20000.00	120000.00	140000.00	120000.00	20000.00	–	

6	आकस्मिकता मद	0	50000.00	50000.00	25000.00	25000.00	—	
7	उपस्कर एंव अन्य कार्यालय सामग्री	0	20000.00	20000.00	15000.00	5000.00	—	
	कुल योग–	134000.00	694000.00	828000.00	580000.00	248000.00		

2009–10 — 248000.00

बैंक ब्याज– 2008–09 — 2024.00

बैंक ब्याज– 2009– 10 — 4778.00

योग– 254802.00

भाग संख्या – 21 मुख्य शीर्ष – 2022 सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष – 01 प्रारंभिक शिक्षा लघु शीर्ष 001 निदेशन और प्रशासन उप शीर्ष 106, जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार विपत्र कोड पी0– 2202010010106 के अर्न्तगत अखंडित राशि के विरूद्ध व्यय राशि की विवरणी :–

वर्ष 2010–11 में आय– व्यय का ब्यौरा

क्र0	मद	गतवर्ष का शेष	प्राप्त अनुदान की राशि	कुल अनुदान	व्यय राशि	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	प्राधिकार के सदस्यों का वेतन	–	210000.00	210000.00	200000.00	10000.00		2010–11 में बैंक ब्याज प्राप्त 4963 +4800= 9763.00
2	सदस्यों का वाहन भत्ता एंव अन्य भत्ता	–	100000.00	100000.00	100000.00	0		
3	कार्यालय भाड़ा	–	110000.00	110000.00	110000.00	0		
4	आकस्मिकता मद	–	27500.00	27500.00	27500.00	0		
5	कम्प्यूटर क्रय एंव	–	20000.00	20000.00	20000.00	0		

	रख रखाव मद							
6	कार्यालय सामग्री	—	15000.00	15000.00	15000.00	0		
	कुल योग	—	482500.00	482500.00	472500.00	10000.00		

2010— 11 — 1000.00

बैंक ब्याज— 10—11 — 4963.00

बैंक ब्याज — 10—11 — 4800.00

योग— 19763.00